

पत्रांक 10/न 4-37/11 ५५७  
बिहार सरकार  
मानव संसाधन विकास विभाग

प्रेषक,

सेवा में,

दशरथ राम  
विशेष निदेशक, माध्यमिक शिक्षा

अध्यक्ष  
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,  
शिक्षा केन्द्र, 2 कम्प्युनिटी सेंटर,  
नई दिल्ली-110092

विषय :

पटना, दिनांक 01/06/11  
मानस भूमि सीनियर सेकेण्ड्री स्कूल, दिनकर नगर, नालन्दा को अनापत्ति  
प्रमाण-पत्र निर्गत।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार सूचित करना है कि सरकारी अधिसूचना संख्या-238 दिनांक-03.04.2006 के आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी, नालन्दा से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं विद्यालय प्रबंधन के द्वारा उपलब्ध कराये गये कागजात की समीक्षा अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने हेतु गठित विभागीय समिति द्वारा दी गई तथा मानस भूमि सीनियर सेकेण्ड्री स्कूल, दिनकर नगर, नालन्दा को सी० बी० एस० ई० नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने की अनुशंसा की गयी है।

समिति की अनुशंसा के आलोक में समीक्षोपरान्त स्थिति निम्नवत है :-

1. यह विद्यालय राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर शैक्षणिक न्यास के अधीन संचालित है। इस ट्रस्ट में किसी एक व्यक्ति/परिवार का प्रभुत्व नहीं है। सोसाइटी के प्रत्येक सदस्य का ब्योरा दिया गया है तथा शपथ पत्र भी दिया गया है।
2. विद्यालय प्रबंधक द्वारा किसी अन्य निर्बंधित सोसाइटी/न्यास के फेन्वाईजी अथवा किसी विद्यालय के ब्रांड नेम उपयोग नहीं करने का दावा किया है।
3. विद्यालय को 2 एकड़ भूमि 35 वर्षों के लीज पर उपलब्ध है। विद्यालय को पर्याप्त उपस्कर पुस्तकालय एवं प्रयोगशाला भी उपलब्ध है। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को स्थल निरीक्षण कर सुनिश्चित करना होगा कि विद्यालय की आधारभूत संरचना एवं सुविधाएँ बोर्ड के मानक के अनुरूप हैं।
4. विद्यालय में शिक्षक की नियुक्ति समाचार पत्रों में विज्ञापन निकालकर विहित प्रक्रिया के द्वारा किया गया है। विद्यालय में 12 शिक्षक हैं। सी० बी० एस० ई०, नई दिल्ली को यह सुनिश्चित करना होगा कि शिक्षकों की योग्यता प्रशिक्षण राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के मापदण्डों के अनुरूप है।
5. विद्यालय में हिन्दू अनिवार्य रूप से पढ़ाये जाने का दावा किया गया है।
6. विद्यालय द्वारा निर्धारित, शुल्कों, वार्षिक लेखा अंकेक्षण तथा वार्षिक प्रतिवेदन प्रतिवर्षा इसे सी० बी० एस० ई०, नई दिल्ली को सुनिश्चित करना होगा।
7. विद्यालय के द्वारा लिखित रूप से सहमति दी गयी है कि उसे विभागीय अधिसूचना संख्या-238, दिनांक 03.04.2006 में उल्लेखित अपेक्षित शर्तें रखीकार हैं।

Sachil Kumar  
School Manager  
Manas Bhumi Sr. Sec. School  
Dinkar Nagar, Nalanda (Bihar) 803111

Manas Bhumi Senior Secondary School  
Dinkar Nagar, Nalanda (BIHAR) 803111

## अपेक्षित शर्तों के अनुसार :-

2

- (i) विद्यालय में क्षमता का 25 प्रतिशत नामांकन पड़ोस में निवास करने वाले परिवार के बच्चों का निःशुल्क किया जायेगा तथा उनसे दूर्योग शुल्क अथवा किसी अन्य प्रकार का शुल्क नहीं लिया जायेगा। ऐसे बच्चों की श्रेणी में अनुसूचित जाति, अनु० जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अलंत सिंहड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, विकलांग बालिकाएं तथा सामाज्य श्रेणी के परिवार जिनकी आय 2,00,000/- रुपया प्रतिवर्ष से कम होगा को रखा गया है।
- (ii) विद्यालय में नर्सरी/के० जी० अथवा प्राथमिक कक्षा में नामांकन के लिए किसी तरह की प्रतीक्षा/साक्षात्कार (बच्चों एवं माता/पिता सहित) नहीं लिया जायेगा। अगर नामांकन के लिए आवेदन निर्धारित क्षमता से अधिक हो तो खुले तरीका से Draw of Lots के माध्यम से नामांकन के लिए बच्चों का चयन किया जायेगा।
- (iii) नर्सरी/के० जी० तथा प्राथमिक कक्षाओं के लिए प्रवेश लेने वाले बच्चों का विद्यालय से आवास की दूरी अधिकतम एक किलोमीटर एवं उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक कक्षा का नामांकन हेतु अधिकतम दूरी 3 किलोमीटर तक रहेगी।
- (iv) जिन बच्चों का नामांकन नहीं होता है उनसे ली गई आवेदन शुल्क की राशि का 80 प्रतिशत राशि वापस लौटाने की व्यवस्था होगी।

8. यद्यपि कि विद्यालय का निरीक्षण विभागीय पदाधिकारी के द्वारा किया गया है, फिर भी सी० बी० ई० ८०० ई०, नई दिल्ली अपने स्तर से जाँच कर यह सुनिश्चित हो लें कि विद्यालय उनके निर्धारित मापदण्ड के आधार पर संचालित है।

9. साथ ही बोर्ड का यह सुनिश्चित करना होगा कि संबंधित विद्यालय के द्वारा अपनी सहमति के अनुसार अनिवार्य एवं अपेक्षित शर्तों का अनुपालन किया जा रहा है। स्कूल को यह शर्त सार्वजनिक करनी होगी तथा इसका उल्लेख प्रोस्पेक्टस एवं वेबसाईट में करना होगा। शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में अनापत्ति प्रमाण—पत्र वापस ले लिया जायेगा तथा सम्बद्धन रद्द करने की कार्रवाई को जायगी।

10. विभागीय पत्रांक—४६, दिनांक 18.01.2008 द्वारा शिक्षक/छात्रों को शारीरिक दण्ड नहीं दिए जाने संबंधी आदेशों का विद्यालयों द्वारा पालन करना होगा।

11. विद्यालय बिहार सरकार के शिक्षा विभाग अथवा स्वास्थ्य विभाग के नियंत्री पदाधिकारी के द्वारा निरीक्षण हेतु किसी भी समय खुला रहेगा।

12. उपरोक्त तथ्यों के आलोक में तथा वर्णित शर्तों के आधार पर मानस भूमि सीनियर सेकेन्डरी स्कूल, दिनकर नगर, नालन्दा को इस शर्त के साथ सी० बी० ई०८० ई०, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण—पत्र दी जाती है कि दो वर्ष के अन्दर लीज की भूमि मोहनपुर, नालन्दा पर अपना चबन तैयार कर विद्यालय को संचालित करें तथा वर्तमान संचालित विद्यालय या संचालन बंद कर देंगे अन्यथा अनापत्ति प्रमाण पत्र रद्द समझी जायेगी।

अनुलग्नक :— जिला शिक्षा पदाधिकारी नालन्दा का जाँच प्रतिवेदन संलग्न।

*Sachet Kumar*  
School Manager

Manas Bhumi Sr. Sec. School  
Dinkar Nagar, Nalanda (Bihar) 803111

ज्ञापांक

५५७

Manas Bhumi Senior Secondary School

Dinkar Nagar, Nalanda (BIHAR) 803111

*Yasmeen*

Principal

दिनांक ०१/०६/११

विद्यालयभाजन

१०.६.११

(विशारथ राम)

विशेष निदेशक, माध्यमिक शिक्षा

प्रशासनिक विभाग

०१/०६/११

प्रतिलिपि : जिला शिक्षा पदाधिकारी नालन्दा को उनके पत्रांक 233 दिनांक 05.04.2011 के प्रशासन में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ज्ञापांक

५५७

दिनांक ०१/०६/११

विशेष निदेशक, माध्यमिक शिक्षा

प्रशासनिक विभाग

०१/०६/११